**न्यायालयः सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।**

**उपस्थितः (अनिल कुमार–X) (उच्चतर न्यायिक सेवा)**

सत्र परीक्षण सं०...... 768/2023

सरकार बनाम मनीष उर्फ मन्नू

अंतर्गत धारा–302 भा०द०सं०

थाना–क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–312/2023

**<u>आरोप</u>**

मैं, अनिल कुमार–X, सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्त मनीष उर्फ मन्नू को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

यह कि दि0 05–08–2023 को समय करीब 03.45 बजे सुबह स्थान गली नं० 1, सैन विहार अंतर्गत सीमा थाना क्रासिंग रिपब्लिक जिला गाजियाबाद में आपने वादी के बड़े भाई हरिओम के पेट व छाती में चाकू से कई वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस प्रकार आपके द्वारा कारित अपराध हत्या के अपराध की श्रेणी में आता है तथा धारा–302 भा०द०सं० के अंतर्गत दंडनीय अपराध है जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक 29.01.2024

**(अनिल कुमार–X)**
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

दिनांक 29.01.2024

**(अनिल कुमार–X)**
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2024.02.03 12:38:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

**न्यायालयः सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।**

**उपस्थितः (अनिल कुमार–X) (उच्चतर न्यायिक सेवा)**

सत्र परीक्षण सं०...... 768/2023

सरकार बनाम मनीष उर्फ मन्नू

अंतर्गत धारा–4/25 आयुध अधि०

थाना–क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–312/2023

**<u>आरोप</u>**

मैं, अनिल कुमार–X, सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्त मनीष उर्फ मन्नू को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

यह कि दिनांक 05.08.2023 को समय करीब 02.05 पी०एम० पर स्थान जल प्लान्ट रोड पर अंतर्गत सीमा थाना क्रासिंग रिपब्लिक जिला गाजियाबाद में आपके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल रक्त रंजित एक अदद चाकू नाजायज बरामद किया गया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो कि आयुध अधिनियम की धारा–4/25 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक 29.01.2024

**(अनिल कुमार–X)**
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

दिनांक 29.01.2024

**(अनिल कुमार–X)**
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।